कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 25.10.2013 को सम्पन्न हुई,का कार्यवृत्त

अपरान्ह 04.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/**251** /सचिव (न.नि.)/13–14 दिनांक : **31.10.2013**

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/...,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक 25.10.2013 दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 36 तक।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (के) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक– 25.10.2013 दिन भुक्रवार को सायं 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

<u>उपस्थिति</u>

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
3.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
4.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद / सदस्य
5.	श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
6.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
7.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
8.	श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
9.	श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
10.	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद / सदस्य
11.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
12.	श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
13.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य

<u>अधिकारीगण</u>

1.	श्री डी0 के0 सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री के. एस. अवस्थी	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री लालता प्रसाद	मुख्य अभियंता ''सिविल''
4.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता ''वि0 / यॉ0''
5.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक,जलकल
6.	श्री डी. के. भटनागर	लेखाधिकारी
7.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	सचिव

ह०......महापौर

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये नव निर्वाचित छः सदस्यों एवं नवागंतुक नगर आयुक्त का स्वागत किया साथ ही सभी सदस्यों से नगर आयुक्त को अपना–अपना परिचय देने के लिये कहा।

तदानुसार सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया और नगर आयुक्त ने भी सभी सदस्यों द्वारा किये गये अपने स्वागत के प्रति आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात् सभापति ने कार्यसूची में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार बैठक संचालित करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिये।

प्र0सं0 245–   श्री अब्दुल कलाम मा0 पार्शद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विशय– जोन–1 वार्ड 50 के अर्न्तगत नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर बारात ाला बनाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि जोन–1 वार्ड 50 के अर्न्तगत नगर निगम की खाली पड़ी जमीन जो म0न0 105/55 चमन गंज मलिन बस्ती धुसियाने हाते के अर्न्तगत आती है । इस घनी आबादी वाले वार्ड में बारातशाला बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी और नगर निगम की आय भी होगी।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस कार्य के आगणन की कार्यवाही व कार्य कराने का कष्ट करें। जो जनहित में आवश्यक है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

सभापति ने दिनांक–14.08.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें यह तय किया गया था कि सभी पार्षद अपने–अपने वार्डो की खाली जमीन का चिन्हांकन कर अवगत करायेंगे कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण तो नही है साथ ही इस क्षेत्र में प्रस्तावित बारातशाला या अन्य के प्रति उसकी क्या उपयोगिता होगी, इसको भी दिखवा लिया जाय।

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 246–   श्री अभिशेक गुप्ता मा0 पार्शद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है,पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

निवेदन है कि नगर निगम पार्षदो द्वारा नगर निगम के किसी विभाग पर दी जाने वाले प्रस्ताव, शिकायती पत्र व मॉगी गई सूचना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का जवाब एक निश्चित समय सीमा के अन्दर पत्र के माध्यम से अवगत करने की व्यवस्था करे और न देने पर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

ह०......महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 पार्षद के सभी पत्रों पर जवाब दिया जाना सम्भव नही है। अधिकतर मैं अपने कार्यालय में ही रहता हूँ। कृपया सभी मुझसे सम्पर्क कर सकते है। नगर निगम की वेबसाइट में समस्त कार्यो से सम्बन्धित सूचना लोड करवाने का प्रयास करवा रहा हॅू। जिससे आप लोगों की समस्या समाप्त हो जायेगी।

सभी सदस्यों ने कहा कि नगर निगम कन्ट्रोल रूम में मुझे सूचना प्राप्त करने के लिये शिकायत दर्ज करानी पड़ती है जिससे आम नागरिकों एवं निर्वाचित सदस्यों में कोई अन्तर नही रह जाता है।

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि वर्ष 2004 में जब मैं यहॉ अपर नगर आयुक्त के पद पर था, तो मेरे द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित करने की व्यवस्था दी गई थी। जिसमें वर्ष 2008 में एस.एम.एस. भेजने का सुझाव प्रमुख सचिव श्री आलोक रंजन द्वारा दिया गया तथा इसकी प्रशंसा की गई।

सभापति ने कहा कि नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण पत्रो का जवाब यथासम्भव भेजा जाय तथा सदस्यों द्वारा कन्ट्रोल रूम की उपयोगिता अनुसार उसका भी प्रयोग किया जाय।

.... **सभापति द्वारा दी गई व्यवस्था पर सहमति प्रदान की गई ।**

प्र0सं0 247– श्री अमित कुमार मेहरोत्रा मा0 पार्शद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

वार्ड 105 के निवासी स्व0 हरि दीक्षित एक अच्छे समाज सेवक व अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। साधुविक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। तमाम समाज के लिये उन्होने अच्छे कार्य किये। आपसे अनुरोध है कि स्व0 हरि दीक्षित के नाम से काली मन्दिर भूसा टोली से बर्तन बाजार भूसा टोली चौराहे तक मार्ग का नाम स्व0 हरि दीक्षित मार्ग किया जाना चाहिये व रखा जाना चाहिये। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... **पूर्व की बैठक दिनांक–14.08.2013 में लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जाय।**

प्र0सं0 248– श्री आ ुतोश त्रिपाठीमा0 पार्शद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

आपसे निवेदन है कि मैने बारातशाला हेतु पूर्व में आपसे बनवाने हेतु प्रार्थना की थी और इस सन्दर्भ में आपको पत्र लिखकर अवगत करवाया था । अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि इस होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करवाकर निस्तारण करवाने की कृपा करें। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह०......महापौर

प्र0सं0 249— श्रीमती गीता जायसवाल पार्शद व पूर्व पार्शद श्री प्रमोद जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है,पर विचार करना:—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— साउथ—एक्स माल से साइट नं0 1 से होते हुये मिक्की हाउस रोड का नाम राष्ट्रकवि देवी प्रसाद राही मार्ग एवं श्री राही जी की मूर्ति स्थापित करने हेतु।

प्रख्यात राष्ट्रीय कवि श्री राही जी ने हिन्दी साहित्य में काव्यविद्या के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। श्री राही जी की रचनायें शहर की गलियों से लेकर भारत के संसद तक में बड़े ही मन से पढ़ी जाती रही है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय कवि श्री राही जी की साहित्यिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये साउथ—एक्स मॉल साइट नं0 1 से होते हुये मिक्की हाउस रोड का नाम राष्ट्रकवि देवी प्रसाद राही मार्ग एवं श्री राही जी मी मूर्ति साइट नं0 1 चौराहे पर स्थापित करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी महान दया होगी। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदे ।ानुसार चौराहों पर मूर्तियाँ लगाना प्रतिबन्धित किया गया है, नामकरण हेतुपूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 250— श्री राके ा साहू पार्शद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है,पर विचार करना:—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— बम्बा रोड सब्जी मण्डी बाजार को मल्टी स्टोरी कॉम्पलेक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सविनय अवगत कराना है कि बम्बा रोड सब्जी मण्डी कानपुर का प्रमुख बाजारों में एक है जो नगर निगम की जगह पर बना हुआ है परन्तु सड़क पर भी बाजार लगती है जिससे लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है नगर निगम की काफी जमीन होने के कारण वहॉ पहले मल्टी स्टोरी कॉम्पलेक्स का प्रस्ताव हो चुका है लेकिन अमल नही हो सका।

अतः आपसे निवेदन है कि बम्बा रोड सब्जी मण्डी की जमीन पर नीचे अण्डरग्राउण्ड पार्किग व ऊपर सब्जी मण्डी और ऊपर अन्य सामानो की दुकाने बना कर व्यवस्थित बाजार बनाया जा सकता है जिससे नगर निगम की आय बढ़ेगी और जनहित में लोगों की परेशनी दूर हो सकेगी। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0......महापौर

प्र0सं0 251— श्री राके□ ा साहू पर्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित है,पर विचार करनाः—

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः— भैरोंघाट पर शव लाने वाले परिवार के लोगो का होने वाले अपमान से बचाने के सम्बन्ध में।

सविनय अवगत कराना है कि कानपुर के भैरोंघाट पर शवदाह संस्कार करने आने वाले परिवार के लोगों से कर्मकाण्ड कराने वाले पुरोहित दुखी परिवार से अधिक रूपये की मांग करते है जिससे लेन देन करने में दुखी परिवार के लोगो को बहुत अपमानित होना पड़ता है।

अतः आपसे निवेदन है कि नगर निगम की जगह पर बने भैरोंघाट पर लकड़ी से लेकर सफाई तक पुरोहित व अन्य खर्च के सारे रेट जनहित में निर्धारित कर दुखी परिवार के साथ हो रही लूट खसोट और दिये जा रहे अपमान से उन्हे बचाया जा सके। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' ने कहा कि मृत्यु प्रमाण—पत्र भी घाट पर बनवाने की व्यवस्था की जाय तथा विद्युत शवदाहगृह भी चालू कराया जाय।

नगर आयुक्त ने कहा कि अच्छा प्रस्ताव है इस क्रियान्वयन हेतु समिति बनाकर कार्यवाही कराई जायेगी। आगरा नगर निगम में जन्म—मृत्यु प्रमाण—पत्र इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई थी, इस पर भी विचार किया जायेगा। रू0 25 देने पर किसी कैफे में जाकर नागरिक जन्म/मृत्यु प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सकता है, इससे सम्बन्धित साफ्टवेयर नगर निगम द्वारा तैयार कर लिया गया है, शीघ्र क्रियान्वयन कराया जायेगा।

................**समिति बनाकर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 252— श्री आलोक दुबे (पार्शद) एवं 03 पार्शदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

<u>प्रस्ताव</u>

प्रस्तावः— शहर की प्रमुख सार्वजनिक दीवारों पर समाजहित एवं जागरूकता हेतु संदेश देती हुयी वाल पेटिंग।

प्रमुख विशयः— पर्यावरण, बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या , स्वच्छता, नशामुक्ति, रक्तदान, साक्षरता एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा इत्यादि प्रमुख है।

कानपुर शहर हम सभी का है तथा इसकी स्वच्छता एवं अतिक्रमण इत्यादि दूर करने की जिम्मेदारी दूर करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है यदि हम शहर की सार्वजनिक दीवारों पर पेटिंगे इत्यादि बना दें तो इससे लोग पेशाब करने से संकोच करेगें तथा दीवारों पर बच्चों के लिये भी लाभकारी होगा । यह कार्य शहरहित में होगा तथा कानपुर शहर का प्रबद्ध वर्ग भी जागेगा।

माननीय इससे निम्न लाभ होगें।

लाभः—

1. शहर की दीवारें साफ सुथरी एवं चमकदार होगीं।
2. समाज के प्रबद्ध वर्ग में नगर निगम का एक अच्छा संदेश जायेगा।

ह0......महापौर

3. नगर निगम की क्रिया–शीलता प्रदर्शित होगी।
4. समाज द्वारा प्रशंसा प्राप्त होगी।
5. हमारी युवा पीढ़ी में अच्छा संदेश जायेगा।
6. अतिक्रमण पर भी रोक लग सकती है।
7. नगर निगम का नीचे नाम होने पर प्रचार भी होगा।

कियान्वनः— महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा कराया जाय। छात्रों का उत्साहवर्धन होगा, तथा छात्र/छात्रायें सीधे विकास से जुड़ेगें तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं से बात कर प्रतियोगिता के माध्यम से भी इसका कियान्वन करा सकते है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

नगर आयुक्त ने कहा कि दक्षिण भारत में प्रस्ताव में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

सभापति ने भी कहा कि इससे नगर निगम की समाज में नगर निगम की उपयोगिता/महत्ता परिलक्षित होगी।

.... **श्री पंकज भूशण को कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्दे□ ा दिये गये।**

प्र0सं0 253— श्री राके□ ा साहू (पार्शद) एवं 68 पार्शदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृश्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करनाः—

प्रस्ताव

विशयः—सभी पार्षदो को प्लाट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

सविनय अवगत कराना है कि सभी पार्षदगण निवेदन करते हुये कहना चाहते है पूर्व में सभी पार्षद गणो को एक एक प्लाट व एक एक दुकान आवंटन की गई थी इस विषय का टेबिल प्रस्ताव लाया जा चुका है और काफी पार्षदों ने अपने अपने वार्डो में खाली पड़ी नगरनिगम की जमीनो को नगर निगम को अवगत करा चुके है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर कानपुर के सभी निर्वाचित पार्षदगणों को एक एक प्लाट बिना ब्याज के आसान किस्तो पर आवंटन करने की कृपा करे। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष **विचारार्थ प्रस्तुत ।**

.... **पर्याप्त स्थल का चिन्हांकन कर अगली किसी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

प्र0सं0 254— श्री हाजी सुहैल अहमद, पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर **विचार करनाः—**

प्रस्ताव

ह०......महापौर

विशयः– जोन–1 वार्ड 99 चमनगंज में स्थित फहीमाबाद डम्प (खाली) में '' सस्ता गेस्ट हाउस या बारात ाला बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

सदर अवगत कराना है कि जोन–1 वार्ड 99 फहीमाबाद में नगरी निगम का डम्प खाली पड़ा हुआ है । मौजूदा स्थित में उक्त डम्प में कुछ स्सि पर ए0 टू0 जेड0 की गाड़िया व रिक्शे खड़े हो रहे है। डम्प के बगल में स्थित मकानों ने डम्प को सर्विस लेन की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। डम्प की खाली पड़ी भूमि पर लोगो ने अवैध रूप से मकान भी बना लिये है यदि उक्त खाली पड़े डम्प पर '' सस्ता गेस्ट हाउस या बारातशाला बना दी जाये तो नगर निगम को मिलने वाले किराये से भारी आय हो सकती है तथा अपनी भूमि की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम हित में उक्त खाली पड़ी भूमि पर '' सस्ता गेस्ट हाउस या बारातशाला बनाये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने का कष्ट करे। यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि यदि उक्त भूमि पर नगर निगम निर्माण कराये जाने में सक्षम न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार व नगर विकास विभाग की मंशा अनुरूप '' पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप'' के अर्न्तगत उक्त भूमि पर निर्माण करा दिया जाये। उक्त भूमि पर निर्माण किया जाना नगर निगम हित में अति आवश्यक है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 255– श्री हाजी सुहैल अहमद, पार्षद एवं 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

<u>प्रस्ताव</u>

विशयः– जोन–4 वार्ड 110 कर्नेलगंज में नीलीपो ा रोड पर नगर निगम की खाली पड़ी लगभग 600 गज खुली भूमि परव्यवसायिक मार्केट तथा ''
सस्ता गेस्ट हाउस'' बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन–4 वार्ड 110 कर्नेलगंज में नीलीपोश रोड पर नगर निगम की लगभग 600 वर्ग गज खुली भूमि पड़ी हुई है पूर्व में उक्त स्थान पर नगर निगम द्वारा संचालित '' सामूहिक शौचालय था जो कि ध्वस्त होकर समतल हो गया है। खुली पड़ी भूमि काफी वेशकीमती है किन्तु नगर निगम द्वारा ध्यान न देने के कारण उक्त भूमि पर लोग अवैघ रूप से कब्जा कर रहे है। यदि उक्त भूमि पर नीचे व्यवसायिक मार्केट बना दिया जाये तथा ऊपर की खुली छत पर '' सस्ता गेस्ट हाउस बना दिया जाये तो उक्त मार्केट की दुकानो व शादी समारोह से मिलने वाले किराये से नगर निगम को भारी आय हो सकती है तथा उक्त भूमि को अवैद्य कब्जे से मुक्ति रखने के साथ साथ उक्त भूमि का सदुपयोग हो सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त खुली भूमि पर मार्केट तथा सस्ता गेस्ट हाउस बनाये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करे। यहां पर भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि इस तरह की भूमि पर यदि निगम निर्माण कराये जाने में सक्षम न हो तो उत्तर प्रदेश

ह0......महापौर

सरकार व नगर विकास विभाग की मंशा अनुरूप '' पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप'' के अर्न्तगत उक्त भूमि पर निर्माण करा दिया जाये। उक्त भूमि पर निर्माण किया जाना नगर निगम हित में अति आवश्यक है। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 256– श्री जितेन्द्र सचान, पार्षद एवं 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित,एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विशय– वार्ड 80 वि□ व बैंक बर्रा में रोड का नामकरण कराने के सम्बन्ध में।

सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मेरे बड़े भाई स्व0 श्री प्रकाश सचान जो जनता के सुख–दुख में जनता के साथ रहते थे, वह स्वस्थ शिविर , आखों की जांच एवं आपरेशन के शिविरों आदि का निशुल्कः आयोजन करते थे एवं अन्य होने वाले आयोजनो में भी पूर्ण सहयोग किया करते थे।

कृपया उनके निवास स्थान को जाने वाली रोड (सेक्टर–ए बी एवं सी विश्व बैंक) का नाम–करण उनके नाम पर करने का कष्ट करे। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 257– श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू', पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

कानपुर शहर में प्राईवेट टूरिस्ट बसों द्वारा रोड पर खड़ी गाड़ियों के कारण शहर में खास कर जरीब चौकी जी0टी0 रोड विजय नगर डबल पुलिया पर जाम के कारण यातायात प्रभावित होता है इन बसों में अधिकतर कानपुर देहात की बसे भी इन्ही रोड पर खड़ी होती है नगर निगम इन बसों के लिये शहर के बाहर एक स्थान आवंटित करे ताकि बस चालक इसका संचालन उसी स्थान से करे और रोड पर खडी बसो को उसी स्थान पर स्टैण्ड के रूप में दिया जाये और उनसे उसका शुल्क लिया जाये ताकि शहर में इन बसों से होने वाले जाम से निजाद मिल सके। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... **विस्तृत विवरण के साथ अगली किसी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

प्र0सं0 258– श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू' पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर **विचार करनाः–**

प्रस्ताव

ह०......महापौर

वार्ड 97 हरवंश मोहाल स्थित लक्ष्मण पार्क में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की एक आदमकद की प्रतिमा लगवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

.... **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदे ा से आच्छादित न होने परपरीक्षण कर कार्यवाही कराई जाय।**

प्र0सं0 259– नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी.80/न.आ./प्रो. सेल/2012–13 दिनांक 25.07.2013. को मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेशित।

:–प्रस्ताव–:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यांन्श के अन्तर्गत सीवरेज योजना फेस–I (इनर ओल्ड एरिया) स्वीकृत लागत रू. 19988.22 लाख के सापेक्ष शासन से प्राप्त निकायांश 1431.628 लाख, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर योजना में प्रस्तावित कार्यो को समयबद्ध तिथि तक सम्पादित कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को रू. 1431.628 लाख अवमुक्त/उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.07.2013 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... **पढ़ा गया।**

प्र0सं0 260– नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/ 118 /न.आ./प्रो. सेल/2013–14 दिनांक 07.09.2013 को मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ
प्रेशित।

:–प्रस्ताव–:

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई,उ.प्र. जल निगम, कानपुर के पत्र संख्याः 2871/ए.सी.–1/158 दिनांक 14.08.2013 के क्र में नगर आयुक्त द्वारा ` 50,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृत दिनांक 06.09.2013 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... **पढ़ा गया।**

ह०......महापौर

प्र0सं0 261—   नगर आयुक्त कार्यालय पत्रांक 1520/3/प दिनांक 22.10.2013 के अनुसार मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेशित

प्रस्ताव

नगर निगम कानपुर सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन एवं सम्पत्तियों के स्वामियों एवं अध्यासियों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये एवं जे0एन0यू0आर0एम0 द्वारा सम्पादित कर (गृहकर) में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने व वसूली अभियान में गति लाने के क्रम में मान्नीय सदन की बैठक दिनांक 27.04.13 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 के ऐसे करदाताओं जिन पर कोई बकाया शेष न हो को चालू मांग पर 10 प्रतिशत की छूट अगस्त 2013 तक के लिए प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2013—14 में प्रतिवर्ग फिट मासिक किराया दरों के पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षित दरों के अनुरूप सामान्य कर के साफ्टवेयर में संशोधन करने आदि के कारण सामान्य कर (गृहकर) के बीजक कर दाताओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ। बीजकों के वितरण में विलम्ब होने के कारण मान्नीय पार्षद गण के अनुरोध पर पूर्व में मान्नीय नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 27.04.13 में दिनांक 31.08.13 तक अनुमोदित छूट को क्रमशः दिनांक 15.09.13, दिनांक 30.09.13 व तिथि 15.10.13 तक मा0 कार्यकारिणी समिति एवं सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी के अनुमोदनोपरान्त बढ़ायी गयी। जनहित में मा0 महापौर जी के अनुमोदनोपरान्त उक्त छूट दिनांक 18.10.13 से दिनांक 31.10.13 तक की अवधि के लिए मा0 कार्यकारिणी समिति/मा0 सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में पुनः दी गयी मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार दी गयी छूट के प्रस्ताव **सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेशित है।**

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 262—

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्ताव

उ0प्र0 जल निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति के कार्य किये जा रहे है जिसके अन्तर्गत छावनी परिषद मे पाइप लाइन (फीडर मेन) बिछाये जाने का कार्य सम्मलित है। उ0प्र0 जल निगम को पाइप लाइन बिछाये जाने के लिये छावनी परिषद से अनुमति अपेक्षित है। इस संदर्भ में छावनी परिषद द्वारा तीन बिन्दु प्रेषित किये गये थे—

ह0......महापौर

(I) छावनी परिषद को पाइप लाइन बिछाये जाने के विपरीत भूमि उपयोग के लिये वार्षिक लाइसेन्स फीस जिसका निर्धारण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जायेगा का भुगतान उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

(II) छावनी क्षेत्र के लिये जलापूर्ति निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराने का संदर्भ दिया गया था जो उपलब्ध कराया जायेगा।

(III) छावनी परिषद को जलापूर्ति म्यूनसिपल दर या लागत से कम दर पर प्राप्त कराई जाये। जलापूर्ति की दरो का निर्धारण प्राविधानों के अनुरूप उ0प्र0 जल निगम/शासन की स्वीकृत पश्चात निर्धारित कर गजट प्रकाशित है। जिसके अनुरूप म्यूनसिपल प्रयोग हेतु दरे रू0 4.87 प्रतिकि0ली0, छावनी परिषद की दरे रू0 7.67 प्रतिकि0ली0, है। छावनी परिषद को जलापूर्ति की दर रू0 7.67 प्रतिकि0ली0, जल उत्पादन की लागत दर रू0 8.68 प्रतिकि0ली0 से कम (सब्सीडाइज्ड) दरे है।

छावनी परिषद द्वारा म्यूनसिपल दरो के अनुरूप जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने की मांग की जा रही है। जबकि छावनी परिषद द्वारा बैठक दिनांक–14.05.12 में रू0 7.67 प्रतिकि0ली0 जलापूर्ति के अनुरूप यह निर्णय किया गया था कि लाइसेन्स फीस में परिवर्तन उसी अनुपात में किया जायेगा जिस अनुपात में जलापूर्ति दरों में वृद्धि की जायेगी।

वार्षिक लाइसेन्स फीस का भुगतान उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम द्वारा छावनी परिषद/रक्षा विभाग की निर्धारित दरों पर किया जायेगा तद्नुरूप जलापूर्ति की निर्धारित दरों का भुगतान छावनी परिषद द्वारा किया जाना चाहिये।

यह भी उल्लेखनीय है, कि छावनी परिषद द्वारा जलकर की मांग का निर्धारण स्वतः किया जाता है जिसका लाभ छावनी परिषद को प्राप्त होता है। अघरेलू उपयोग की दरो से म्यूनसिपल जलापूर्ति की दरों की क्रास सब्सीडी की जाती है जबकि छावनी परिषद के अघरेलू उपयोग का निर्धारण छावनी परिषद द्वारा किया जाता है। जिसका लाभ भी छावनी परिषद को प्राप्त होता है। अतः म्यूनसिपल क्षेत्र की दरो से तुलना औचित्यपूर्ण नही है।

जलापूर्ति की दरो का निर्धारण प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश के महानगरों के लिये उ0प्र0 जल निगम/शासन की स्वीकृति से निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी में भी छावनी परिषद हेतु जलापूर्ति की दरे म्यूनसिपल दरों से अधिक है।

वर्तमान जलापूर्ति एवं योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति के आधार पर दरो के अनुरूप स्थिति निम्नवत् है–

वर्तमान जलापूर्ति :

ह०......महापौर

1.9 एम0एल0डी0 दर रू0 4.87 प्रतिकि0ली0 से वार्षिक राशि	रू0	33.77 लाख
1.9 एम0एल0डी0 दर रू0 7.67 प्रतिकि0ली0 से वार्षिक राशि	रू0	53.19 लाख
दरो के अन्तर (रू0 7.67–4.87=2.80) से वार्षिक राशि	रू0	19.42 लाख
लाइसेन्स फीस वार्षिक	रू0	33.75 लाख

उक्त तथ्यों से उ0प्र0 जल निगम द्वारा छावनी परिषद को अवगत कराते हुए यह अपेक्षा की गई थी, कि योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अनुमति हेतु अनुशंसा प्रेषित करने का कष्ट करे। छावनी परिषद ने यह अवगत कराया है, कि छावनी परिषद की बैठक में उक्त तथ्यो को बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया था। छावनी परिषद ने यह निर्णय लिया है, कि छावनी परिषद में भी जलापूर्ति की दरे म्यूनसिपल क्षेत्र उपयोग के लिये निर्धारित दरो के अनुरूप की जाये। छावनी परिषद की जनसंख्या में कोई अतिरिक्त वृद्धि संभावित नही होगी।

उक्त योजनागत कार्यो के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने की स्वीकृति न प्राप्त होने से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में विलम्ब हो रहा है जिससे योजना की लागत में अनावश्यक वृद्धि होगी एवं पाइप लाइन का कार्य समय से न हो पाने से नगर के पूर्वी क्षेत्र में जलापूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होगी। जनता को इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा। नुकसार से लाइसेन्स फीस कही ज्यादा होगी। लागत बढ़ने से रोकने एवं जलापूर्ति जनता को करने के लिये अन्य कोई उपाय नही है। अतः जनहित मे छावनी परिषद को भी जलापूर्ति उपयोग की दरे म्यूनसिपल क्षेत्र की दरो के समतुल्य की जाये। इस स्थिति में छावनी परिषद को लाइसेन्स फीस देय न होगी। यह भी अवगत कराया जाना है, कि प्रदेश के योजनागत शहरो में वाल्यूमेट्रिक टैरिफ का निर्धारण किया जाना/जा रहा है। टैरिफ निर्धारण उक्त तथ्यो का समावेश करते हुये किया जा सकता है। इस मध्य म्यूनसिपल क्षेत्र की जलापूर्ति की दरो के अनुरूप छावनी परिषद क्षेत्र में उपयोग के लिये जलापूर्ति की दरों का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 19– नगर आयुक्त महोदय के स्वीकृत दिनांक 08.10.2013 के उपरान्त मा0 महापौर जी के अनुमोदन दिनांक 09.10.2013 के अन्तर्गत नगर
निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 के कम में रिलाइन्स जीयो द्वारा मास्ट स्थापना हेतु अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0
कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ।

–: प्रस्ताव :–

मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15.10.12 के अनुपालन में मेसर्स रिलाइन्स जीयो इन्फोकॉम प्रा0 लि0 को **4** जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/ वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के क्रम में ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी0वी0एम0) स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न अभियन्त्रण खण्डो की आख्या पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति की अनुसंशा पर चयनित कुल 87 स्थलो (विस्तृत सूची उल्लेखित) पर जी0वी0एम0 की स्थापना हेतु नगर आयुक्त महोदय की अनुसंशा दिनांक 08.10.2013 पर मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृती की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी द्वारा दिनांक 09.10.2013 को अनुमोदन प्रदान किया गया। विवरण निम्नवत् है :–

शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012

संख्या – 1485/नौ–9–2012–161ज/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

01. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
02. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश
03. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2012

विशयः– रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा **4** जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/ वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किया जाना।

ह0......महापौर

इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड जिसे आगे कम्पनी कहा गया है, द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में और आरम्भिक तौर पर ग्रेटर नोएडा,नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, मेरठ, रामपुर,आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, और इलाहाबाद नगरों में 4th Generation Broad Band Wire line/Wireless Access Services (4G) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 30 मीटर ऊँचे ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना के लिए अधिकतम 3 मी0 x 3 मी0 भूमि को 20 वर्ष, जिसे आगे 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा, की लीज पर उपलब्ध कराने तथा भूमिगत व उपरिगामी आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कम्पनी द्वारा समस्त सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

02. कम्पनी द्वारा भूमिगत केबिल डालने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि इस कार्य में Horizontal Directional Drilling (HDD) तकनीक का उपयोग किया जायेगा, जिसमें भूमि के सतह के क्रियाकलापों पर बहुत कम बाधा आयेगी और इसमें समय भी बहुत कम लगेगा। कार्य पूरा होने के 72 घण्टे के अन्दर स्थल मूलस्थिति में ला दिया जायेगा। जहाँ भूमिगत केबिल डालना सुविधाजनक नही होगा वहां फाइबर टू होम लगाने के लिये आवश्यकतानुसार ओवरहेड वायर्स खींचने के लिए बिजली के खम्भों के सामन खम्भे लगाने हेतु अधिकतम 1 मी0 x 1मी0 स्थान की आवश्यकता होगी।

03. स्थानीय नागर निकाय क्षेत्रों में सड़क, चौराहा, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ग्राउण्ड बेस मास्ट हेतु अधिकतम 3 मी0 x 3 मी0 का स्थल 20 वर्ष की लीज, जिसे आगे 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सके, लीज रेन्ट पर देने अथवा निकाय की भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर/डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिये स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128 में निम्नलिखित प्राविधान हैः

इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (निगम), को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन(निगम), द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो बेचे किराये पर दे, पट्‌टे पर उठाये, उसको विनिमय करें, उसे बन्धक रखे, दान में दे, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा (निगम) को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों (Terms) के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनिमय की जायेगी, न बंधक रखी जायेगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी(Conveyed) ।

ह०......महापौर

04. उक्त के क्रम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–129 में सम्पत्ति के निस्तारण विषयक प्राविधान किये गये है।

05. इसी प्रकार उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–124 में सम्पत्ति अन्तरण विषयक प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत हैः

(1) (नगर पालिका) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के
अधीन रहते हुए,(नगरपालिका) में निहित किसी सम्पत्ति को, जो किसी न्यास के सम्बन्ध में उसके द्वारा धृत सम्पत्ति न हो, जिसकी शर्ते इस प्रकार अन्तरण के अधिकार से असंगत हों विक्रय, बन्धक,पट्टा, दान, विनिमय द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

(2) (नगर पालिका) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की मंजूरी से (नगरपालिका) में निहित किसी सम्पत्ति का सरकार को अन्तरण कर सकता है, किन्तु इस प्रकार से नही कि उससे किसी न्यास या सार्वजनिक अधिकार पर जिसके अधीन वह सम्पत्ति हो, कोई प्रभाव पड़े।

(3) परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अन्तरण ऐसे पट्टे को छोड़कर जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसी लिखत द्वारा, जो नगरपालिका को सामान्य मुहर से मुद्रांकित होगा और अन्यथा वह ऐसी सभी शर्तो का अनुपालन करेगा, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संविदा के सम्बन्ध में अधिरोपित की गई हों।

06. यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अधिनियम 2001 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्सधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 2 और धारा 5 में राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, विहित निर्बन्धनों और शर्तो के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है।

07. इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित सेवायें/सुविधायें भी प्रदान की जायेगीः

ह०......महापौर

(1) Providing Surveillance Cameras free of Cost on the MASTS put up on Government land. These Cameras Will be Connected to the designated Police Control Rooms in the cities. The Connectivity Will be Provided free of Charge for a period of 15 Years.

(2) Free Connectivity (up to 2mbps) free of Charge for a period of 15 years to State Secretariat, Annexe, Bapu BhaWan, Raj Bhawan,Janpath, Indira Bhawan and CM' s residence.

(3) To Provide one fire alarm Box in each high- rise building of 6 or more stories free of Charge and the same Shall be connected to the control room,in the cities having population of more than Lacs Where their Services are rolled out.

(4) Maintain and develop four parks (Subject to availability of parks) in each city Where their Services are rolled out.

08. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित अधिनियमों के संगत प्राविधानों के दृष्टिगत प्रस्तर–1 में उल्लिखित नगरों में, जहां सम्भाव्यता है, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 4 जी नेटवर्क के लिए HDD विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति देने की कार्यवाही की जायः

(1) अनुमति प्राप्त करने के लिए कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वार्डवार मानचित्र पर पूर्ण विवरण चिन्हांकित करते हुए स्थलों और कार्यो की सूची प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसी भूमि की अवस्थिति, आकार एवं अन्य अपेक्षित सूचनायें निहित होगीं।

(2) आवेदन–पत्र के साथ, मास्ट/पोल की ऊँचाई,ट्रेंच की गहराई,लम्बाई, केबिल बिछाने हेतु आपेक्षित भूमि का आकार, जिसमें लम्बाई,चौड़ाई,गहराई आदि का उल्लेख हो और संरचना आदि का विवरण भी संलग्न करना होगा। अन्य कोई विशिष्टियॉ, जो निकाय द्वारा अपेक्षित हों, भी संलग्न की जायेंगी।

(3) अनुमति ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए दी जायेगी जो लोक सुरक्षा और जन सुविधा के हित में हो।

(4) अनुमति केवल उसी अवधि के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गई हों।

(5) प्रदान की गई अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।

(6) मार्ग के लिए खुली, छोडी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(7) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां मास्ट या पोल लगाने की अनुमति नही दी जायेगी।

ह०......महापौर

(8) जहां इनसे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हों वहॉ अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) मास्ट लगाने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 5000.00 नगर पालिका परिषद में रू0 7000.00 एंव नगर निगम में रू0 10000.00 अग्रिम रूप में कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति मास्ट भुगतान किया जायेगा। इसके पश्चात ही सम्बन्धित निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(10) इसी प्रकार ओवरहेड वायर के लिये पोल स्थापित करने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 1000.00, नगर पालिका परिषद में रू0 1500.00 एवं नगर निगम में रू0 2000.00 कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति पोल भुगतान किया जाएगा।

(11) मास्ट लगाने हेतु देय किराया,लीजरेन्ट, दण्ड शुल्क और अन्य देयों का निर्धारण सम्बन्धित निकाय द्वारा तत्समय प्रभावी दर पर नियमानुसार किया जायेगा।

(12) कम्पनी द्वारा की गई कटिंग की गुणवत्तापरक पुनर्स्थापना कटिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टे में निकाय की सन्तुष्टि और विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। नियत अवधि में अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय पुनर्स्थापन व्यय दण्ड सहित वसूल करेगा और पुनर्स्थापन कार्य करायेगा।

(13) कम्पनी द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(14) आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए 2मी0 X 2मी0 आकार का 1.5 मीटर गहराई का गड्ढा लगभग 100 मीटर दूरी के अन्तर पर खोदा जायेगा। विशेष परिस्थिति में गहराई 2 मी0 से 4 मी0 तक हो सकती है।

(15) खोदे गये गड्ढे को चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि गड्ढे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।

(16) भूमिगत केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी। यदि ऐसी सुविधाओं को क्षति पहुॅचती है तो सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा उसे ठीक कराया जायेगा। इस कार्य में आने वाला समस्त व्यय कम्पनी होगी।

(17) आवश्यकता पड़ने पर निकाय के निर्देश पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल नियत समय में बदलने अथवा केबिल/मास्ट के स्थल परिवर्तन करने का समस्त व्यय–भार कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस हेतु कम्पनी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

(18) निकाय कर्मचारियों द्वारा कार्यो के निर्वहन के समय आप्टिकल फाइबर केबिल को पहुॅची क्षति के लिये उन्हे अथवा नगरीय निकाय को उत्तरदायी नही माना जायेगा।

(19) कम्पनी द्वारा किसी मास्ट, पोल अथवा केबिल की मरम्मत के लिए की जाने वाली खुदाई आदि की सूचना देना होगा और मरम्मत के पश्चात स्थल को मूल स्थिति में लाना होगा।

ह०......महापौर

(20) ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना हेतु अधिकतम 3मी0 x 3मी0 की भूमि चिन्हित स्थलों पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी। दो मास्ट के मध्य की दूरी 150 मीटर के कम Line of Sight में नही होगी।

(21) ग्राउन्ड बेस्ड पोल (GBP) के लिए निर्दिष्ट स्थान पर स्थल की उपलब्धता के आधार के आत्यन्तिक 1मी0 x 1मी0 का स्थल सड़क पटरी के आत्यन्तिक किनारे जहॉ यातायात एवं आवागमन बाधित न हो, उपलब्ध कराया जायेगा। दो पोल क मध्य न्यूनतम दूरी 20 मीटर होगी। इसकी अधितम ऊँचाई 5 मीटर होगी।

(22) मास्ट की ऊँचाई 25 मीटर से अधिक होने पर उसका तकनीकी परीक्षण प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था से कराना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकतानुसार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(23) मास्ट पोल अथवा केबिल की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यो के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, या क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जायेगा।

(24) मास्ट, पोल की स्थापना अथवा केबिल बिछाने की अनुमति देने से पूर्व नागर निकाय द्वारा निर्धारित समस्त देयों का भुगतान अनुबन्धित शर्तो के अनुसार कम्पनी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(25) जहॉ नागर निकाय के मार्ग प्रकाश सम्बन्धी पोल पूर्व से स्थापित है वहॉ निर्धारित शुल्क लेकर इन पोलों के उपयोग की अनुमति कम्पनी को दी जा सकेगी।

(26) कम्पनी द्वारा स्थापित मास्ट और पोल का उपयोग नागर निकाय द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा। इस हेतु कम्पनी को कोई शुल्क देय नहीं होगा। मार्ग प्रकाश सम्बन्धित समस्त उपकरण आदि (मरम्मत सहित) नागर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर आने वाला विद्युत व्यय–भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। मास्ट और पोल पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की स्थापना और मरम्मत का कार्य कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

(27) कम्पनी द्वारा गृह विभाग की अनुमति से मास्ट पर सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरा अपने व्यय पर स्थापित किये जायेंगे और पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जोड़े जा सकेंगे।

(28) यदि कम्पनी द्वारा मास्ट या पोल पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है अथवा विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये किसी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाता है तो इस हेतु कम्पनी को निकाय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निकाय के नियमों/प्राविधानों का पालन करना होगा व निकाय द्वारा निर्धारित दरों क अनुरूप विज्ञापन कर का भुगतान करना होगा।

(29) कम्पनी और निकाय के बीच किसी विवाद की स्थिति में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(30) समस्त नियमों,शर्तो और देयों के भुगतान के सम्बन्ध में नागर निकाय और कम्पनी क मध्य अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

9– कृपया उक्त निर्देशों के अधीन मामले में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ह०......महापौर

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या – 1485(1)/नौ–9–2012 एवं तद्दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेशित है –

01. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग , उत्तर प्रदेश भाासन।
02. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
04. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम एवं अधिशाशी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिशद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय) ।
05. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
06. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
07. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत कम्पनी को 30 मीटर ऊँचे ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट लगाये जाने हेतु 3मी0 x 3मी0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के साथ साथ नगर निगम में पूर्व से प्रचलित एवं शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर,2012 में उल्लिखित सुसंगत नियमो के अधीन निम्न शर्तो के साथ अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है :–

भार्तें :–

ह०......महापौर

- किसी भी दशा में दिनांक 90 दिन के अन्दर सम्बन्धित द्वारा प्रश्नगत रोड की कटिंग पूर्ण कर मास्ट लगाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- मास्ट लगाये जाने हेतु शासनादेश में उल्लिखित दरों के अनुसार आगणित जमानत राशि एवं रोड कटिंग रेस्टोरेशन धनांक की बैंक गारन्टी सम्बन्धित द्वारा प्रतिभूमि स्वरूप नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेशन के उपरान्त उसकी गुणवत्ता के सत्यापन के पश्चात् रोड कटिंग रेस्टोरेशन धनांक की बैंक गारन्टी वापस कर दी जायेगी।
- 30 मीटर ऊँचे ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना हेतु अधिकतम् 3मी0 x 3मी0 भूमि का प्रयोग किया जायेगा तथा कम्पनी द्वारा ध्यान रखा जायेगा कि मास्ट से आम जनता को कोई व्यवधान उत्पन्न न हो तथा मास्ट से यातायात प्रभावित न हो एवं दूरसंचार का तार, वाटर लाईन, सीवर इत्यादि भी किसी प्रकार से प्रभावित न हो। सम्बन्धित मास्ट से किसी भी प्रकार के व्यवधान पर नगर निगम द्वारा सूचित करने के 72 घण्टे के अन्दर उसे स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
- नगर निगम कानपुर के क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता एंव अवर अभियन्ता को सम्बन्धित द्वारा अवगत कराने के पश्चात् ही मास्ट लगाये जाने/अन्य कार्य किये जायेगें।
- मास्ट लगाने/अन्य कार्य करते समय यदि किसी अन्य विभाग का कोई नुकसान (जैसे दूरसंचार का तार, वाटर लाईन, सीवर इत्यादि) होता है तो इसकी भरपायी सम्बन्धित से की जायेगी।
- मास्ट लगाने /अन्य कार्य करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित न हों।
- मास्ट लगाने वाले स्थल की पूर्ण बैरीकेटिंग की जानी आवश्यक है।
- प्रत्येक मास्ट पर रात्रि में टाप पर लाल सिग्नल लाइट को होना आवश्यक है।
- प्रत्येक मास्ट पर तड़िक चालक लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- मास्ट लगाने के उपरान्त 72 घण्टे के अन्दर आप द्वारा स्थल को लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुरूप पुनर्स्थापित किया जायेगा।
- मास्ट लगाने /अन्य कार्य किये जाने हेतु निश्चित समय सारिणी भी स्थल पर चस्पा किया जाय, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को जानकारी प्रस्तावित मास्ट लगने का संज्ञान हो सके।
- यदि आपके विभाग द्वारा रात्रि में मास्ट लगाने की कार्यवाही की जाती है तो मास्ट लगाते समय चौकीदार एवं पर्याप्त मात्रा में रोशनी का प्रबन्ध होना चाहिये। सड़क पर दुर्धटना से बचाव हेतु लाल सिन्गल लाईट का प्रबन्ध करना भी अनिवार्य होगा।

ह०......महापौर

- मास्ट लगाने के पूर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यातायात एवं अन्य विभागो को अवगत कराना होगा।
- मास्ट लगाने के पूर्व उड्डयन, रक्षा एवं प्रशासनिक विभागो को सूचित करना होगा। उक्त विभागो के किसी भी आपत्ति की जिम्मेदारी आपकी स्वयं् की होगी।
- अवकाश के दिनो में बिना पूर्व सूचना के मास्ट लगाने की कार्यवाही नही की जायेगी।
- स्थल पर किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी। कानपुर नगर निगम का उक्त से कोई सरोकार नही होगा।

मास्ट लगाये जाने हेतु दर निर्धारण

वार्शिक किराये हेतु :–

Sr No.	Adress with PIN/ Road/Land mark	No. Of GBM	DM Circle Rate per square meter	Land Area for 1 G.B.M. 3 meter x 3 meter	Annual Value	Annual Rent
		A	B	C	D=A*B*C*7%	E=D*15%
1	Civil Line Kanpur-208001	1	43000	9	27090	4063
2	Indian Overseas Bank Mall road Branch Kanpur 208001	1	43000	9	27090	4063
Total Zone 1 sites		**2**		**18**	**54180**	**8126**
3	Machoriya Road Nowasta Kanpur-208011	1	14500	9	9135	1370.25
4	125,Rajeev Vihar ,Naubasta,Kanpur-208021	1	14500	9	9135	1370.25

ह०......महापौर

5	11-A,Bajrang Puri,Naubasta ,Kanpur-208011	1	9400	9	5922	888.3
6	P.A.C. Modh By Pass Kanpur-208013	1	20700	9	13041	1956.15
7	3 Ai,Chanakyapuri, Shyamnagar, Kanpur-208013	1	11500	9	7245	1086.75
8	Shayam Nagar, Kanpur-208013	1	20700	9	13041	1956.15
9	671,C Block,Shayam Nagar, Kanpur	1	9800	9	11340	1587.6
10	Dr.V.K Kapoor,Agarwal Apatment Shyam Nagar Kanpur-208013	1	9800	9	11340	1587.6
11	Taiya Janala Gawon ,Hajindar Nagar ,Kanpur	1	21000	9	13230	1984.5
12	Kranti Nagar Chok Near Allka Hospital Kanpur 208010	1	10000	9	6300	945
13	112/9 Near Aget Dalmeel Pokharpur Kanpur - 208013	1	10000	9	6300	945
14	Iinfront Of Uniq Buailders Madina Masjid Pahli Par Moti Nagar Kanpur -208010	1	12000	9	7560	1134
15	14 E Ompurva Lal Banglo Kanpur-208007	1	7000	9	4410	661.5
16	Near J.K Masjid Nagar Nigam Damp Jk Jadjmau Kanpur -208010	1	8000	9	5040	756
17	In Front Of Zazsons Exports Lt 4B Shitala Bazar Jadjmau Kanpur -208010	1	9000	9	5670	850.5

ह०......महापौर

18	Face 104/90 A,B Wazidpur Jajmau Kanpur-208010	1	9000	9	5670	850.5
19	Kailash Nagar Durga Vihar Kanpur - 208010	1	6000	9	3780	567
20	251 C/B,Ghakera Chakeri,Kanpur-208006	1	9200	9	5796	869.4
21	Patel Nagar Kanpur-208007	1	9400	9	5922	888.3
22	1358 Y Block , Kidwai Nagar Kanpur- 208011	1	23500	9	14805	2220.75
Total Zone 2 sites		**20**		**180**	**164682**	**24475.5**
23	Juhi Lal Colony Kanpur-208014	1	15000	9	9450	1417.5
24	127/621,Vinoba Nagar ,Kanpur -208014	1	15000	9	9450	1417.5
25	Chhoti Juhi Flage Sqare Paramurrwa Kanpur 208014	1	15000	9	9450	1417.5
26	Jarauli Phase -2,Kanpur-208027	1	13000	9	8190	1228.5
27	Smart Education center Naubasta, hadepur colony Kanpur-208021	1	12000	9	7560	1134
28	Site No-1 Kidwai Nagar Kanpur-208011	1	16500	9	10395	1559.25
29	Bagai Kabristan Begampurwa, Kanpur - 208023	1	15800	9	9954	1493.1

ह०......महापौर

30	21/3 Babu Purwa New Labour Colony , Kanpur -208011	1	15800	9	9954	1493.1
31	128/272 B-H2 Kidwai Nagar Kanpur-208011	1	23500	9	14805	2220.75
32	Near Subhas Children Park Babupurwa Colony,Kanpur-208011	1	15800	9	9954	1493.1
33	H-Block Ramleela Ground Kidwai Nagar Kanpuur 208011	1	16500	9	10395	1559.25
34	W Block Keshav Nagar Near Gosala Chok Kanpur-208011	1	16500	9	10395	1559.25
35	B-Block,Big Park,Visvbank Colony ,Barra,Kanpur-208027	1	12000	9	7560	1134
36	Subhas Park Basant Vihar Colony Kanpur	1	15000	9	9450	1417.5
37	K block Kidwai nagar kanpur-20811	1	23500	9	14805	2220.75
38	130/528,Bakar Ganj,Kanpur-208023	1	15800	9	9954	1493.1
39	Anand Puri Kanpur-208023	1	25000	9	15750	2362.5
Total Zone 3 sites		**17**		**153**	**177471**	**26620.65**
40	Pandit Shiv Narayan Mishra Park , Parmath , Kanpur-208001	1	19000	9	11970	1795.5
41	Arshi Girl Inter College Chamanganj Mohd Ali Park Kanpur-208001	1	28000	9	17640	2646

ह०......महापौर

42	Soukat Alli Park Karnalganj Jugiyana Kanpur -208008	1	22000	9	13860	2079
43	10/1 Khalasi Line Fool Wala Park , Kanpur -208001	1	21000	9	13230	1984.5
44	Idgha Nagar Kanpur-208001	1	21000	9	13230	1984.5
45	Pawati Road ,Rani Ka Bagicha, Old Kanpur -208002	1	28000	9	17640	2646
Total Zone 4 sites		**6**		**54**	**87570**	**13135.5**
46	R-Block,Govind Nagar Kanpur-208006	1	22000	9	13860	2079
47	C.I.G Double Store Barra -2 Kanpur-208027	1	16500	9	10395	1559.25
48	Kfcl Furtilizer Gate No-3,Post Office Udhyog Nagar,Panki,Site -1,Kanpur-208022	1	11000	9	6930	1039.5
49	Panki State-1 Naurya Khera Kanpur-208022	1	3800	9	1890	264.6
50	Panki Indrastial Area Site -3 Kanpur-208022	1	7500	9	3780	529.2
51	B-Block ,Ioc Panki -1,Kanpur-208020	1	11500	9	7245	1086.75
52	Lml Limited Near Jhashi Railway Crossing Kanpur -208022	1	7500	9	4725	708.75
53	123/214, Pratapganj , Gadarian Purwa , Kanpur-208012	1	17500	9	11025	1653.75

ह०......महापौर

54	Gajaini Ratanlal Nagar Kanpur-208022	1	20500	9	12915	1937.25
55	995,Ratan Lal Nagar Kanpur-208022	1	20500	9	12915	1937.25
56	Sector-A, Gujaini Kanpur -208022	1	15800	9	9954	1493.1
57	20E/6,Dabaali Kanpur-208022	1	15800	9	9954	1493.1
58	Mig-29,Sec-1,Barra-208027	1	15800	9	9954	1493.1
59	Near Shastri Square ,Barra-3,Kanpur-208027	1	14500	9	9135	1370.25
60	1540 , Ratanpur Colony ,Panki -20 Kanpur	1	11200	9	7056	1058.4
61	Green Belt,Bajrang Nagar,Kanpur-208020	1	11500	9	7245	1086.75
62	F-41,Vidhyarthi Nagar,Panki,Kanpur-208020	1	11500	9	7245	1086.75
63	Ganga Ganj-Part 3,Panki,Kanpur-208020	1	8800	9	5544	831.6
64	Hig Park Ratanlal Nagar,Kanpur-208006	1	20500	9	12915	1937.25
65	7-Block,Govind Nagar Kanpur -208006	1	22000	9	13860	2079
66	Panki Station Rani Ganj Pudao,Kanpur-208020	1	8800	9	5544	831.6

ह०......महापौर

67	Anwarjang Railway Station,Juhi Parampura ,Kanpur-208014	1	11000	9	6930	1039.5
Total Zone 5 sites		**22**		**198**	**191016**	**28595.7**
68	Chandra Bihar Colony Nababganj Road Kanpur -208002	1	23000	9	14490	2173.5
69	Karyalay U.P Sarmayouckt Sarwoday Nagar Kanpur	1	32500	9	20475	3071.25
70	Nomak Factory Chouraha P Block Hitkari Nagar Kakadev , Kanpur 208025	1	18000	9	11340	1701
71	Central Park Geeta Nagar Kanpur	1	20000	9	12600	1890
72	Near Plot No 199/4 Sri Hari Krishna Niwas & K.K coaching Bamba Road Panchwati vinayakpur	1	16500	9	10395	1559.25
73	Manorma Pallesh Vikash Nagar Zoo Road Kanpur	1	23000	9	14490	2173.5
74	University Road Commersial House Kanpur -208024	1	16500	9	10395	1559.25
75	Masabanpur , 520 Purani Maszid Near Bye Pond Kanpur	1	9500	9	5985	897.75
76	Azad Nagar , Kanpur -208002	1	23000	9	14490	2173.5
77	3A/128A, Azad Nagar Kanpur -208002	1	23000	9	14490	2173.5
78	Indra Nagar Kanpur-208026	1	18000	9	11340	1701

ह०......महापौर

79	Gautam Bihar,New Sivili Road,Kanpur-208017	1	10500	9	6615	992.25
80	Sachdeva Market , Kali Gate , Shastri Nagar Kanpur-208005	1	22500	9	14175	2126.25
81	317/12 Vijay Nagar Kanpur -208012	1	13000	9	8190	1228.5
82	Guru Tezz Bahadur Marg Kanpur -208012	1	31000	9	19530	2929.05
83	Laxmibai Park Pandu Nagar H-2 Kanpur -208025	1	32500	9	20475	3071.25
84	117/422 L Block Navin Nagar Kakadev Kanpur -208016	1	20000	9	12600	1890
85	Kakadev Block Bhagwati Nagar Rawatpur Gaown	1	11500	9	7245	1086.75
86	Shastri Nagar Kanpur -208005	1	22500	9	14175	2126.25
87	111/625 Roshan Nagar ,Nevro Science Hospital Kanpur	1	11500	9	7245	1086.75
Total Zone 6 sites		**20**		**180**	**250740**	**37610.55**

SUMMARY

S.No.	Zone	Total No.of GBM	Total Land Area for 1 GBM (3meter x 3meter)	Total Annual Value	Total Annual Rent
1	1	2	18	54180	8126
2	2	20	180	164682	24475.5
3	3	17	153	177471	26620.65

ह०......महापौर

4	4	6	54	87570	13135.5
5	5	22	198	191016	28595.7
6	6	20	180	250740	37610.55
Grand Total		**87**	**783**	**925659**	**138563.9**

जमानती धनरा� ा हेतु :–

- ✓ **भाासनादे� ा के अनुसार प्रतिमास्ट किराया @ धनांक 10000.00**
- ✓ **87 मास्ट = 87 X 10000.00 = 870000.00**

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 में उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के निस्तारण हेतु निम्नानुसार नियम विद्यमान है :–

उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि (निगम) की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होगें, अर्थात् :–

01. (निगम) की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण (निगम) की ओर से नगर आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
02. नगर आयुक्त स्वविवेकानुसार (निगम) की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच कर किराये पर देकर या अन्य रूप से व्ययन कर सकता है, जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में 500 रूपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो, जिसे (निगम) राज्य सरकार के अनुमोदन के समय–समय पर निर्धारित करे, या (निगम) की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी एक समय में 12 महीने से अधिक न हो: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान (monthly tenancy) का संविदा न हो उसका वार्षिक लगान 3,000 रू0 से अधिक न होता हो, नगर आयुक्त कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के 15 दिन के अन्दर देगा।
03. नगर आयुक्त कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से (निगम) की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है,या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है, जिसका मूल्य 5,000 रूपये से अधिक न हो और इसी प्रकार की स्वीकृती से (निगम) की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है, या (निगम) की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच

ह0......महापौर

सकता है, या स्थायी रूप से पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना (premium) 50,000 रूपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया 3,000 रूपया से अधिक न हो।

04. नगर आयुक्त (निगम) की किसी चल या अचल सम्पत्ति को निगम की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकता है।

05. उपधारा (5–क) और (5–ख) में यथा व्यवस्थित के सिवाय, (निगम) की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाये,पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय,उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर, न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायेगा–

(क) कोई परिनियत निकाय,
(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्योगिकी या पशु–पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य–पालन तथा कुक्कुट – पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित न हो) या भवन से इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जोने के कारण निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो,या
(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नही है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म–स्थान के आधार पर लाभार्थियों के संबध में विभेद नही है) प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गई किसी रियायत का मूल्य–
01. पट्टे की दशा में,वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,
02. किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रूपये से, इसमें जो भी कम हो अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण– यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबध मे अथवा इस संबध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपयुक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नही,तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
(5–क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति किसी ऋण से (निगम) द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार (निगम) द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

ह०......महापौर

(5–ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए,(निगम) का कोई गृह या गृह–स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओ के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके संबध में विहित प्राधिकारी ने इण्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट,1925 के अधीन इस बात का प्रमाण–पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तो पर जैसा कि (निगम) उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(6) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन कार्यकारिणी समिति की अथवा (निगम) की स्वीकृति सामान्यरूप (generally) मामलों के किसी वर्ग (Class) के लिये या किसी विशेष मामले के लिये विशिष्ट रूप से (Specially) दी जा सकती है।

(7) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजन के लिये किये गये (निगम) की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

उपरोक्तानुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15.10.12 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं को समावेशित कर शासनादेश में अंकित शर्तो के अधीन नगर निगम स्वामित्व स्थल पर ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट लगाने की अनुमति नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत माननीय **कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेशित है।**

.... रोड कटिंग के सम्बन्ध में निर्धारित भार्तो का सख्ती से अनुपालन किया जाय। तदानुसार ही स्वीकृत प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव :– महाप्रबन्धक, जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना (पैकेज संख्या–01) के क्रम में कैण्टोमेन्ट बोर्ड के क्षेत्र में फूलबाग चौराहे से छावनी परिषद तक 2000 एम.एम. व्यास सीवर लाइन बिछाने हेतु छावनी परिषद कानपुर से अनापत्ति के क्रम में छावनी परिषद द्वारा लाईसेन्स फीस के भुगतान की अपेक्षा की गई है। समय से अनुमति न मिलने के कारण योजना की लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उ0प्र0 जल निगम एवं जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि छावनी परिषद को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर परिवर्धित/अधिसूचित की गई लाइसेन्स फीस का भुगतान जलकल विभाग/उ0प्र0 जल निगम कानपुर द्वारा किये जाने तथा छावनी परिषद के अपजल के वास्तविक सोधन शुल्क एवं समय–समय पर परिवर्धित/अधिसूचित की धनराशि उ0प्र0 जल निगम/जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा प्राप्त की जायेगी।

प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ह०......महापौर

.... **स्वीकृत प्रदान की गई।**

प्र0सं0 263 :– अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत तथा नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

महानगर में नगर निगम द्वारा 43 चिकित्सा यूनिटें संचालित की जा रही है, चिकित्सा विभाग में नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) के पद पर कार्यरत डा0 यू0पी0अग्रवाल अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर दिनांक– 31.08.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके है। मा0 कार्यकारिणी ने दिनांक– 14.08.2013 प्रस्ताव 244 में विधिक राय लेकर कार्यकाल बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाय, की टिप्पणी देते हुये प्रस्ताव पास कर दिया गया था, राय के उपरांत मानदेय पर डा0 यू0पी0अग्रवाल से कार्य लिये जाने की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को पत्र संख्या–137/2013–14/क दिनांक–20.09.2013 प्रषित किया गया परन्तु शासन से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है। चिकित्सा विभाग में कार्य संचालन की बाधा को देखते हुये डा0 यू0पी0अग्रवाल ने दिनांक–14.10.2013 को अपर नगर आयुक्त के समक्ष पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रस्ताव रखा कि शासन से मानदेय पर कार्यानुमति प्राप्त होने तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) के पद पर अवैतनिक रूप से अपनी सेवायें देने के लिये तैयार है। चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत 43 चिकित्सा यूनिटें एवं 28 शेल्टर होम्स् संचालित हो रहे है, जिनका समय–समय पर निरीक्षण करने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो के लिये वाहन 3000कि0मी0 की अनुमति के साथ तथा सी0यू0जी0 सिम कार्ड भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे आवश्यक कार्य सम्पादित करने में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृत प्रदान की गई ।**

प्र0सं0 264 :– श्री आदर्श दीक्षित द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

पूर्व में भी मैं अपने वार्ड 69 गुजैनी के जे–ब्लाक पार्क में बारातशाला बनाये जाने के लिये प्रस्ताव दे चुका हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल किया जाय।

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 265 :– श्रीमती गीता देवी एवं अन्य पार्षदों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

ह0......महापौर

मेरे वार्ड–17 सरांयमीता के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पनकी भाऊसिंह जो कि मलिन बस्ती घोषित है में अग्नेश्वर मन्दिर के पास नगर निगम की काफी जमीन खाली पड़ी है और वहाँ आस–पास कोई भी गेस्ट हाउस या बारातशाला नही है।

श्रीमान् जी उक्त जमीन पर यदि एक बारातशाला और एक पुस्तकालय बनवा दिया जाय तो उक्त जमीन का सदुपयोग हो जायेगा और इससे होने वाली आय से नगर निगम का कोष भी मजबूत होगा।

.... **पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या प्रेशित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्र0सं0 266 :– श्रीमती सोनी पाल द्वारा प्रस्तुत तथा श्री कैलाश पाण्डेय एवं श्री आदर्श दीक्षित द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड–52 दबौली के अन्तर्गत दबौली वेस्ट सब्जी मण्डी चौराहे के पास काफी खाली जगह पड़ी हुई है जिसमें अवैध रूप से गुमटी व दुकानें रखे हुये है। इस जगह पर कई दुकानें बनाई जा सकती है, जिससे नगर निगम का राजस्व भी बढ़ सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। कृपया इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये शामिल करने का कष्ट करें।

.... **विस्तृत विवरण के साथ अगली किसी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

प्र0सं0 267 :– श्रीमती उत्तम दुबे द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

मेरे वार्ड–33 पनकी, रतनपुर कालोनी में रामलीला मैदान में अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद जी की प्रतिमा लगी है। लेकिन उस मूर्ति पर छतरी नही है। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उस मूर्ति पर छतरी लगवा कर रंग रोगन कराने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में कानपुर नगर के प्रमुख चौराहों के सुन्दरीकरण कराने हेतु कुछ संस्थाओं द्वारा गोद लिया गया था। जिसका परिणाम एक–दो वर्ष तक सीमित दिखाई पड़ा। तत्पश्चात् वर्तमान में यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रत्येक चौराहों का रख–रखाव संस्थाओं द्वारा नही किया जा रहा है, जिससे मूर्तियों एवं स्थल के आस–पास गंदगी व्याप्त हो रही है।

ह0......महापौर

.... निर्णय लिया गया कि कानपुर महानगर में स्थापित सभी महापुरूशों की मूर्तियों पर छतरी लगवायी जाय तथा जिन संस्थाओं द्वारा गोद लिये गये चौराहों का संरक्षण नही किया जा रहा है, उनका अनुबन्ध समाप्त कर नगर निगम अपने अधिकार में चौराहों को पुनः ले ले।

प्र0सं0 268 :– श्री आलोक दुबे द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

नगर निगम के द्वारा कराये गये विकास कार्यो में किसी वार्ड में नाम के पत्थर लगाये गये है, और किसी वार्ड में नाम के पत्थर नही लगाये गये है। इनमें वार्ड–87 काकादेव भी शामिल है। जहाँ पर एक भी पत्थर नही लगाया गया ।

अतः आपसे आग्रह है कि नगर निगम द्वारा किये गये कार्यो में पूरे कानपुर में महापौर जी, पार्षद और नगर आयुक्त जी के नाम के पत्थर लगाये जाय। या फिर जिन अन्य वार्डो में नामों के पत्थर लगे है, उन्हें हटवाया जाय। जिससे किसी पार्षद को पीड़ा न पहुँचे। इस प्रस्ताव पर कृपया अपना ध्यान आकर्षित करें।

.... कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर शिलालेख लगवाये जाय।

प्र0सं0 269 :– श्री आदर्श दीक्षित द्वारा प्रस्तुत तथा 05 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

त्यौहारों का समय चल रहा है, प्रकाश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली कुछ दिनों के बाद है। इस मौके पर मैं कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते चाहता हूँ कि सभी पार्षदों को 20–20 सोडियम लाइटें दी जाय और ये भी सुनिश्चित किया जाय कि यह लाइटें दीपावली के पहले लग जाय। इस सत्र में अभी तक किसी पार्षद को लाइटें नही मिली है। शहर की जनता आपकी ओर से प्रकाश के त्यौहार पर प्रकाश का उपहार पाकर आपकी आभारी रहेगी।

सभापति ने कहा कि प्रकाश एवं विकास के दृष्टिगत सभी वार्डो के प्रति मेरे द्वारा बैठक के अन्त में निर्णय दिया जायेगा।

प्र0सं0 270 :– श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत तथा कार्यकारिणी सदस्यो द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

जोन–6 का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा नमक फैक्ट्री चौराहा है। इसको व्यवस्थित एवं सुन्दरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है एवं ट्रफिक लाइट लगवाया जाना अति आवश्यक है।

ह०......महापौर

अतः इसकों कार्यकारिणी से पास कराकर कार्य कराने की कृपा करें।

.... **स्वीकृत प्रदान की गई।**

प्र0सं0 271 :– मा0 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

कानपुर नगर निगम में छः कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ है, कार्यकारिणी का प्रथम अधिवेशन के शुरू होने के पूर्व उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने के लिये सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यों ने अपना हस्ताक्षरयुक्त पत्र प्रेषित किया है।

अतः आपसे आग्रह है कि माननीय कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से उप सभापति अपना विश्वास सदस्यों से खो चुके है, आपसे आग्रह है कि उन्हें हटाकर नये उप सभापति का चयन कराने का कष्ट करें।

.... **विधिक राय लेकर परीक्षण कार्यवाही कराई जाय।**

प्र0सं0 272 :– श्री आदर्श दीक्षित द्वारा प्रस्तुत तथा कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुमोदित टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विकास कार्य पार्षद के वार्डो में कराये जाते है, वह कार्य चाहे नगर निगम निधि, अवस्थापना निधि, 13वॉ वित्त आयोग या मार्ग प्रकाश किसी भी निधि से हो उन कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त पार्षदों की संस्तुति पत्र लेने के पश्चात् ही भुगतान करवाया जाय। पूर्व के समय में भी इसी तरह की व्यवस्था सदन में रही है, जो कुछ समय से लागू नही है। जिससे की विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि संदर्भित विषय पर मेरे द्वारा 32 बिन्दुओं का पत्र जारी किया गया है, जिसमें कार्य प्रारम्भ होने के समय क्षेत्रीय पार्षद एवं नागरिकों के समक्ष निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं कार्य मानक के अनुसार कराये जाने को समस्त जोनल अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है। साथ ही पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के तहत कार्यादेश एवं इस्टीमेट की कापी भी जोनल अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता परिलक्षित होने हेतु नगर निगम की वेबसाइट में सभी कार्यो को लोड कराये जाने का भी प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिससे कोई भी नागरिक या निर्वाचित जन प्रतिनिधि नगर निगम की वेबसाइट खोलकर कार्य की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकेगा। अतएव कार्य के भुगतान के समय किसी भी पार्षद के पत्र की आवश्यकता समीचीन नही होगी।

ह०......महापौर

सभापति ने भी स्पष्ट किया कि कानपुर नगर के सभी नागरिक भी कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों की अनदेखी न किये जाने की सोच रखते है, जिसके प्रति नगर आयुक्त द्वारा दी जा रही व्यवस्था पर्याप्त प्रतीत होती है।

.... भुगतान के समय किसी भी पार्शद के पत्र की आव यकता समीक्ष नही होगी।

सभापति ने सदस्यों से कहा कि आपकी उत्कंठा एवं चिन्ता को मैं समझ सकता हूँ। प्रकाश का महोत्सव (दीपावली) में सभी प्रकाश बिन्दु चालू कराने एवं वार्डवार विकास कराये जाने की प्राथमिकता आप सभी के मन में है। तद्नुसार निम्नवत् निर्णय प्रदान किया जाता हैः–

1. प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र में उनके निर्देशानुसार 15–15 प्रकाश बिन्दु चालू कराये जाय।
2. नगर आयुक्त द्वारा पूर्व में प्रत्येक वार्ड में रू0 10.00 लाख की धनराशि के प्रस्ताव माँगे गये थे उसमें वृद्धि करते हुये रू0 20.00 लाख की धनराशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाय।

नगर आयुक्त ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि सभापति/मा0 महापौर द्वारा दिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

श्री राकेश साहू ने सभापति से सर्विस लेनों की सफाई एवं चोक सीवर लाइन खुलवानें तथा खुले मेनहोलों में ढक्कन लगवाने का अनुरोध किया।

जिस पर नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक, जलकल को कार्यवाही कराने के निर्देश प्रदान किये तथा मा0 महापौर एवं सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित किया।

सभापति द्वारा सभी सदस्यों से आज दिनांक–25.10.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा।

.... सभी सदस्यों ने आज दिनांक–25.10.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुश्टि की।

तत्पश्चात् सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

ह०......महापौर